न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— शारदा चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 45/2023

1. तुलछाराम
2. मदाराम
3. मूलाराम
4. कानाराम
5. गोमती
6. राधा
7. राजू
8. मनोहरी
9. सरोज

} पिसरान छोगाराम जाति मेघवाल निवासी जयमलसर तहसील व जिला बीकानेर

...... अपीलांटान

बनाम

1. शालूराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल निवासी जयमलसर
2. जसोदा पत्नी मगाराम जाति मेघवाल निवासी जयमलसर
3. सत्यनारायण
4. सोहनराम
5. नथी

} पिसरान मगाराम जाति मेघवाल निवासी जयमलसर तहसील व जिला बीकानेर

6. शंकरराम
7. भवंरराम
8. कमला
9. सन्तु
10. गीता

} पिसरान रेवन्तराम जाति मेघवाल निवासी जयमलसर तहसील व जिला बीकानेर

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत

.... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपरिथति अभिभाषक :—

1.पैरोकारराज – राज्य की ओर से

2.श्री हनुमान गिरी – अभिभाषक अपीलांट की तरफ से।

3.श्री हरिराम बिश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 5, 7 ता 10 की तरफ से।

—: निर्णय :—

दिनांक :—

यह कि अपीलान्ट ने यह अपील उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत के ग्राम जयमलसर के इन्तकाल संख्या 3650 दिनांक 06.06.2017 अपीलान्टान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से 5 व 6 से 10 के पिता का गलत हिस्सा अंकित किया गया, को निरस्त करने बाबत इस न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई है।

अपीलमीमो के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है :—

अपीलान्टान के दादा मोटाराम के नाम ग्राम जयमलसर के खसरा नम्बर 54/7 में रकबा 17.14 बीघा, खसरा नम्बर 140 में 50.03 बीघा कुल 67.00 बीघा कृषि भूमि खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड थी। अपीलान्टान के दादा मोटाराम के फौत होने पर रेवन्तराम, मगाराम, छोगाराम, शालूराम पिसरान मोटा के नाम विरासतन दर्ज हुई जो ब.हि.ब. 1/4–1/4 हिस्सा खातेदार दर्ज की गई।

इसके अलावा ग्राम जयमलसर के खसरा नम्बर 257/09 रकबा 25.00 बीघा खातेदारी भूमि केवल मात्र छोगाराम पुत्र मोटाराम के नाम थी। छोगाराम के फौत होने पर विरासतन इन्तकाल संख्या 3650 दिनांक 6.6.2017 दर्ज किया गया जिसमें रेवन्तराम, मगाराम, शालूराम, का हिस्सा 1/2 लिख दिया गया। ग्राम जयमलसर के खसरा नम्बर 54/7 में रकबा 17.14 बीघा, खसरा नम्बर 140 में 50.03 बीघा कुल 67.00 बीघा में तुलछाराम, मदाराम, मूलाराम, कानाराम, गोमती, राधा, राजू, मनोहरी, सरोज पिसरान छोगाराम का हिस्सा 1/4 बनता है जबकि इन्तकाल में 1/2 हिस्सा लिख दिया गया है जो गलत दर्ज होने के कारण दुरस्त योग्य है। ग्राम जयमलसर के खसरा नम्बर 257/9 रकबा 25.00 बीघा खातेदारी भूमि एक मात्र छोगाराम पुत्र मोटाराम के नाम होने के कारण वरासतन इन्तकाल में केवल छोगाराम के विरासतन जायज वारिस आपीलान्टस् होने के कारण उनके नाम ब.हि.ब. दर्ज होना चाहिये था। जबकि उक्त खसरा नम्बर 257/09 रकबा 25.00 बीघा में भी रेवन्तराम, मगाराम, शालूराम पि0 मोटाराम के नाम शामिल कर हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया गया। ग्राम जयमलसर के खसरा नम्बर 54/7 में रकबा 17.14 बीघा, खसरा नम्बर 140 में 50.03 बीघा कुल 67.00 बीघा भूमि शामिल खाते की भूमि थी। जबकि खसरा नम्बर 257/09 रकबा 25.00 बीघा केवल मात्र छोगाराम पुत्र मोटाराम के नाम होने से इन्तकाल संख्या 3650 दिनांक 6.6.2017 में हिस्सा गलत दर्ज किया गया इसलिए इन्काल निरस्त योग्य है। यह कि इन्तकाल संख्या 3650 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से 5 व 6 से 10 में पिता का हिस्सा गलत दर्ज होने के उपरान्त भी इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्टास् को सुनवाई, सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इन्तकाल संख्या 3650 दिनांक 6.6.2017 तस्दीक करने से पूर्व उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत द्वारा लिगल माइन्ड इस्तेमाल नहीं किया। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पति व 3 से 5 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 10 के पिता फौत हो चुके है। इसलिए पक्षकार बनाया गया है। अपीलान्ट दिनांक 5.10.2023 को किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले लेने हल्का पटवारी के पास गया तो इन्तकाल संख्या 3650 के गलत भरे जोने की जानकारी हुई तब अपीलान्ट ने उसी दिन हल्का पटवारी से इन्तकाल की नकल प्राप्त की। अपील पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद तथा काबिल समाअत अदालतवाला के प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्टान प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से सादर निवेदन है कि इन्तकाल संख्या 3650 दिनांक 6.6.2017 ग्राम जयमलसर निरस्त किया जाकर अपील मंजूर फरमायी जावे।

पैरोकारराज ने अपील मियाद बाहर पेश होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही राज्यहितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया है।

आदेशिका दिनांक 21.2.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 व 6 द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आदेशिका पर सहमति प्रदान की है जिसकी वकील अपीलान्ट ने पहचानकर्ता के रूप में सहमति अंकित की है। शेष रेस्पो0 संख्या 2, 5, 7 ता 10 ने कोई सहमति अंकित नहीं की है। आदेशिका दिनांक 10.6.2024 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 5, 7 ता 10 की तरफ से हरिराम बिश्नोई अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश किया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 2,5, 7 ता 10 की तरफ से लिखित सहमति भी पेश की है जिस पर अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा सहमति हस्ताक्षर किये गये है। अपीलान्ट संख्या 1 ता 9 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 की और से एक शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित है कि उक्त अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 3650 निरस्त कर दिया जाता है तो हम दोनो पक्षकार सहमत है किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 21.2.2024 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 व 6 द्वारा सहमति व आदेशिका दिनांक 10.6.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 5, 7 ता 10 की

तरफ लिखित सहमति एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत द्वारा स्वीकृत ईन्तकाल संख्या 3650 दिनांक 6.6.2017 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत को प्रकरण इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभ्य पक्षों को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जायज वारिसो की जॉच कर विधि सम्मत आदेश पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शारदा चौधरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर